



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3334 सन् 2026

मेवा लाल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अस्तित्व श्रीवास्तव, पंकज कुमार श्रीवास्तव
उत्तरदाता के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अस्तित्व श्रीवास्तव और राज्य उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत होने वाले विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. प्रतिद्वंद्वी पक्षों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए चरण में ही निर्णय किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 11.01.2008 को पीलीभीत जिले के बीसलपुर विकास खंड में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। जब रिट याचिकाकर्ता वर्ष 2017-18 के लिए ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कर्तव्यों का पालन कर रहा था, तो रिट याचिकाकर्ता ने कुछ विकास कार्य किए थे जो रिट याचिकाकर्ता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी की गई योजना के अनुसार थे और उस संबंध में बिल, वाउचर, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र आदि भी प्रस्तुत किए गए थे। जिसके अनुसार, लेखा-परीक्षण करने के लिए सहायक लेखा-परीक्षण अधिकारी श्री बंशी धर यादव को नियुक्त किया गया था और उन्होंने रिट याचिकाकर्ता को शामिल किए बिना एकपक्षीय लेखा-परीक्षण आख्या प्रस्तुत की और उसके बाद सहायक लेखा-परीक्षण अधिकारी ने भी एक लेखा-परीक्षण आख्या प्रस्तुत की, जिसमें कहा अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

गया था कि रिट याचिकाकर्ता इस तथ्य के आधार पर नुकसान के लिए उत्तरदायी था कि पंचायत निधि के उपयोग से संबंधित दस्तावेजों का गैर-उत्पादन हुआ था। रिट याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत ने दिनांक 27.02.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके बाद दिनांक 31.07.2025 को एक और नोटिस जारी किया गया, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

4. दोनों कारण बताओ नोटिसों पर सवाल उठाते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि यद्यपि इसे कारण बताओ नोटिस कहा गया है, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने वाले के द्वारा पहले से ही निर्णय ले लिया गया है और मामला तय कर दिया गया, विशेष रूप से, जब एक बार कारण बताओ नोटिस जारी करने वाले ने स्वयं ही यह निर्णय लिया है कि ब्याज के साथ वित्तीय दायित्व रिट याचिकाकर्ता पर ही लगाया जाना है, तो कारण बताओ नोटिस जारी करने का उद्देश्य एक खोखली औपचारिकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **मैसर्स सीमेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य; 2006 (13) एससीएएलई 297**, और **मैसर्स बीसीआईटीएस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर बनाम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी और एक अन्य में रिट-सी संख्या 15363 सन् 2022**, 26.05.2022 को निर्णीत की गई और **के.के. कांजिला बनाम भारत संघ और अन्य; सिविल विविध रिट याचिका संख्या 40396 सन् 2011**, 31.01.2013 को निर्णय दिया गया में इस न्यायालय की एक खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि कारण बताओ नोटिस में निहित कथन कि रिट याचिकाकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, जिनकी मांग की गई थी, गलत हैं, विशेष रूप से, जब उक्त दस्तावेज रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सबसे पहले रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष वर्ष-2026 में प्रस्तुत की गई है अर्थात् 27.02.2026 को और कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.02.2025 और 31.07.2025 के हैं। वह प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता के लिए कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करना हमेशा खुला है, यदि यह प्रस्तुत नहीं किया गया है और यदि रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, कुछ पूर्वनिर्धारण होता है, तो इसे रिट याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस पर प्रस्तुत उत्तर के अधीन अनंतिम माना जा सकता है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का ध्यान से अवलोकन किया है।

8. जाहिर है, रिट याचिकाकर्ता ग्राम विकास अधिकारी है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 1947 के नियम 259 (1) 257 (2) के साथ सपठित नियम 256 (1) के अधीन वर्ष 2017-18 के लिए

लेखा-परीक्षण आख्या प्रस्तुत करने के बाद कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। कारण बताओ नोटिस 27.02.2025 को जारी की गयी थी जो इस प्रकार है:

"श्री मेवालाल,

तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी,

ग्राम पंचायत-महुआ चक, मु. कारण बताओ नोटिस

द्वारा खण्ड विकास अधिकारी,

विकास खण्ड-मरौरी।

उ०प्र० पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-256 (1) के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाये गये दुरुपयोग, अपव्यय अथवा क्षति के सम्बन्ध में अधिभार प्रतिवेदन (वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18) प्रेषित किया गया है। (प्रति संलग्न)।

क० सं०	वार्षिक लेखा प्रतिवेदन संख्या	सिम्भुआ	विकास खण्ड का नाम	सन्निहत धनराशि
1	187	महुआ चक मु०	मनौरी	818256-00

1- नियम 256 (1) के तहत उक्त अधिभार प्रतिवेदन पर अपना स्पष्टीकरण इस अध्याचन के संसूचित होने के दो माह के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, अथवा 2-नियम 257(2) के अन्तर्गत आपसे उक्त धनराशि के भुगतान की अपेक्षा की जायेगी। नियम 259 (1) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में अधिभारित धनराशि का भुगतान न करने की दशा में नियम-259 (2) के अन्तर्गत अधिभारित धनराशि को मालगुजारी के वकाये के रूप में वसूल किया जायेगा।

उक्त के कम में आपको कारण बताओं नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्तवत् परिपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त परिपालन आख्या को जिला लेखा परीक्षा

अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें लेखा, पीलीभीत को प्रेषित की जा सके। यदि आपके द्वारा एक पक्ष के अन्दर उक्त परिपालन आख्या अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाते है। तदनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही करते हुए विभागीय / विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

ह०अ०/-

(रोहित भारती)

जिला पंचायत राज अधिकारी,
पीलीभीत।"

9. इसके बाद 31.07.2025 को एक और पत्र जारी किया गया जो इस प्रकार है:

"कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत ।

पत्रांक 3562-/7-पंचायत / ऑडिट लि0/2025-26 दिनांक 31-07-2025.

सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पे०)

सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव जनपद-पीलीभीत।

कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहायक निदेशक, सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा, जनपद-पीलीभीत के पत्रांक-584 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 में सम्मिलित निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के परिपालनों की समीक्षात्मक आख्याएं प्राप्त हुयीं हैं। जो असंतोषजनक पायी गयी हैं।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप वित्तीय वर्ष 2017-18 के असंतोषजनक परिपालन का साक्ष्यों सहित परिपालन पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर बना स निश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध विभागीय एवं वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक-असंतोषजनक परिपालन ।

ह०अ०/-

(रोहित भारती)

जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत।"

10. आक्षेपित आदेश पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि लेखा-परीक्षण आख्या के आधार पर, यह पाया गया कि 8,18,256/- रुपये की राशि का दुरुपयोग हुआ है और रिट याचिकाकर्ता को मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करते समय कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करना आवश्यक था और यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं तो ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।

11. न्यायालय की राय में, कारण बताओ नोटिस में प्रयोग की गई भाषा रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने से पहले पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं हो सकती है। वास्तव में, कारण बताओ नोटिस का अर्थ यह प्रकट करना होता है कि इसमें वह कितनी राशि शामिल है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि नोटिस प्राप्तकर्ता उस संबंध में आरोपों का खंडन करते हुए अपना उत्तर दे सके।

12. फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि कारण बताओ नोटिस स्वयं रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध निर्णय देता है और उस संबंध में दायित्व को मजबूत करता है। जहां तक रिट याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रकार भरोसा किए गए निर्णय, मैसर्स सीमेंस लिमिटेड (उपरोक्त), मैसर्स बीसीआईटीएस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर (उपरोक्त) और केके कंजिला (उपरोक्त) का संबंध है, इसमें निर्धारित विधि व्यवस्था के प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं है। यद्यपि, कारण बताओ नोटिस में निहित बातें कहीं भी यह नहीं दर्शाती हैं कि इसमें कोई पूर्व-निर्धारण शामिल है।

13. अन्यथा भी, कारण बताओ नोटिस 27.02.2025 और 31.07.2025 को जारी किया गया था और यह ऐसा मामला नहीं है कि कारण बताओ नोटिस किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था जो इसे जारी करने में सक्षम नहीं है और आगे वर्तमान रिट याचिका लगभग एक वर्ष की अवधि के बाद 27.02.2026 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार, न्यायालय वर्तमान मामले को उस संबंध में हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानता है।

14. फिर भी, यदि कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, तो इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और रिट याचिकाकर्ता के लिए सभी विधिक और तथ्यात्मक आधार लेते हुए कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का विकल्प हमेशा खुला है और एक बार जब कोई आधार प्रस्तुत कर दिया जाता है तो न्यायालय के पास उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह जाता है, और तब उस आधार पर विधि के अनुसार ही सख्ती से विचार किया जाएगा।

15. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

मार्च 11, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

Translated version. Not for Legal Use.